न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 229/17 दायरा दिनांक :—12.09.2017 निर्णय दिनांक :— 16.02.2021

1. बदलुराम पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र रामकुवार
2. श्रवण पुत्र रामकुवार
3. बिमला
4. कमला
5. लाली
6. भगोती पुत्रीयान रामकुवार
7. राजेश देवी पत्नी फतेहसिंह
8. सन्दीप पुत्र फतेहसिंह
9. संगिता पुत्री फतेहसिंह
10. राजेश देवी पत्नी विजयसिंह
11. देवराज पुत्र विजयसिंह नाबालिग
12. कविता पुत्री विजयसिंह नाबालिग जरिये सरप्रस्त माता राजेश देवी
13. कमलेश बेवा विरेन्द्र
14. सुनील
15. प्रवीण कुमार
16. सुभाष कुमार पुत्रान विरेन्द्र
17. मन्जू देवी पत्नी ओमवीर जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राज0
19. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुण्डावर जिला अलवर, राज0
20. नरेन्द्र
21. सुरेन्द्र पुत्रान रामदेवा जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

दावा ईशतकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :— 16.02.2021

आज पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 554/0.20 जिसके साबिक ख0न0 384 रकबा 10 बिस्वा व इसके साबिक ख0न0 302 मिन रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में स्थित है एवम हाल आराजी ख0न0 548 रकबा 0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाके ग्राम जालावास में स्थित है जिसमें आ0ख0न0 548 रकबा 0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। साबिक ख0न0 302 मिन ओमप्रकाश पुत्र जीवणा जो वादी के पिता थे उनके कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिनकी फौतगी पर वादी स्वयं काबिज होकर काश्त कर रहा है। साबिक ख0न0 302 मिन रकबा 18 बिस्वा जिसके सन 1978 में नये नंबर 384 बना जिसका रकबा गलती से 10 बिस्वा दर्ज कर दिया। उक्त 384 के हाल ख0न0 554 बने जिसमें भी रकबा 16 बिस्वा यानि 0.20 है0 सेटेलमेंट 2029 में दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून गलत दर्ज कर दिया। साबिक ख0न0 302 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा था लेकिन संवत 1969 में उक्त ख0न0 302 के तीन नंबर पैमूद कर तीन जगह अलग—अलग व्यक्तियों के नाम चढा दिये जो क्रमशः 302 मिन रकबा 18 बिस्वा किशनसहाय के नाम, ख0न0 302 मिन रकबा 8 बिस्वा, सुखन के नाम तथा ख0न0 302 मिन रकबा 18 बिस्वा ओमकार के नाम जमाबंदी संवत 1969 में दर्ज कर दिये एवम संवत 1978 में ख0न0 301 व 302 मिन दोनों को मिलाकर नया नंबर 383 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किशनसहाय के नाम दर्ज कर दिया तथा ख0न0 302 मिन रकबा 8 बिस्वा का नया नंबर 385 रकबा 14 बिस्वा सुखन के वारिस श्योसहाय, गुल्ला, प्रेम, कन्हैया के नाम तथा ख0न0 302 मिन रकबा 18 बिस्वा का नया नंबर 384 रकबा 10 बिस्वा ओमकार के नाम दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया है। खिलाफ मौका खिलाफ कानून दर्ज किया है। साबिक ख0न0 302 मिन रकबा 18 बिस्वा जो वादी के पिता की खातेदारी की आराजी थी उसका संवत 1978 में नया ख0न0 384 पैमूद कर दिया लेकिन रकबा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया जबकि उस समय नया नंबर बनाते समय रकबा 18 बिस्वा ही दर्ज होना चाहिए था। वादी के पिता के नाम दर्ज आराजी का रकबा घटा दिया। उसके बाद सेटलमेंट संवत 2029 में नया नंबर 554 पैमूद कर रकबा 16 बिस्वा यानी 0.20 है0 गलत दर्ज कर दिया और वादी के पिता के नाम दर्ज आराजी का रकबा 2 बिस्वा कम कर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर विवादित आराजी हाल ख0न0 548, 549, 550 में कर दिया। उक्त आराजी में से मिनवादी 2 बिस्वा [illegible] कराकर हाल आराजी ख0न0 554 रकबा 0.20 है0 में दर्ज कराकर ख0न0 554 रकबा 0.22 है0 दर्ज कराने का अधिकारी है। आदि—आदि का निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस प्रकार की पारित कर [illegible] ख0न0 548/0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में [illegible] बिस्वा रकबा कम किया जाकर हाल ख0न0 554 रकबा 16 बिस्वा यानी 0.20 है0 में 2 बिस्वा रकबा जोडा जाकर मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवम प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 16:05:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

आ0ख0न0 548, 549, 550 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर को कहीं रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिनवादी के काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 एवम 19, 20, 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवम प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये लेकिन बार–बार जवाब का अवसर दिये जाने उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब दावे का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदीयात एवम मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 लगायत 36 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बदलूराम पी डब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये विवादित आराजी ख0न0 548 रकबा 0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में से रकबा 2 बिस्वा यानी 0.03 है0 कम किया जाकर वादी की आराजी ख0न0 554 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में जोडा जाकर वादी को रकबा 2 बिस्वा यानी 0.03 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवम प्रतिवादीगण को उक्तानुसार ही डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कुल काश्त कार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 लगायत 36 का गहनता से अध्ययन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित किये जाने की स्थिति में वादी का वाद स्वीकार डिक्री किया जाता है एवम हाल आराजी ख0न0 548 रकबा 0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में से वादी की हिस्से आराजी की हद तक कुल रकबा 0.03 है0 कम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उक्त रकबा 0.03 है0 वादी के हाल ख0न0 554 रकबा 0.20 है0 में जोडा जाकर रकबा 0.23 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादीगण के हिस्से शेष बचे रकबे से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 [illegible] लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

, पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 229/17 दायरा दिनांक :–12.09.2017 निर्णय दिनांक :– 16.02.2021

1. बदलुराम पुत्र ओमकार जाति अंहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र रामकुवार
2. श्रवण पुत्र रामकुवार
3. बिमला
4. कमला
5. लाली
6. भगोती पुत्रीयान रामकुवार
7. राजेश देवी पत्नी फतेहसिंह
8. सन्दीप पुत्र फतेहसिंह
9. संगिता पुत्री फतेहसिंह
10. राजेश देवी पत्नी विजयसिंह
11. देवराज पुत्र विजयसिंह नाबालिग
12. कविता पुत्री विजयसिंह नाबालिग जरिये सरप्रस्त माता राजेश देवी
13. कमलेश बेवा विरेन्द्र
14. सुनील
15. प्रवीण कुमार
16. सुभाष कुमार पुत्रान विरेन्द्र
17. मन्जू देवी पत्नी ओमवीर जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राज0
19. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुण्डावर जिला अलवर, राज0
20. नरेन्द्र
21. सुरेन्द्र पुत्रान रामदेवा जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्तीं इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से **श्री सुरेश यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री सतीश यादव एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 16.02.2021** को **श्री रामसिंह** राजावत, उपखण्ड **अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती है:—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित किये जाने की स्थिति में वादी का वाद स्वीकार डिक्री किया जाता है एवम हाल आराजी ख0न0 548 रकबा 0.06, 549/0.06, 550/0.18 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में से वादी की हिस्से आराजी की हद तक कुल रकबा 0.03 है0 कम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उक्त रकबा 0.03 है0 वादी के हाल ख0न0 554 रकबा 0.20 है0 में जोडा जाकर रकबा 0.23 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादीगण के हिस्से शेष बचे रकबे से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.02.2021 **को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

16/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested